

राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना अंतर्गत संविदा कार्यक्रम अधिकारी/कंसल्टेन्ट
(आयुर्वेद/होम्योपैथी) एवं संविदा वित्त प्रबंधक हेतु चयन नियम वर्ष

2024-25

MPPLR

1. सामान्य :-

1. ये नियम राष्ट्रीय आयुष मिशन, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग अंतर्गत राज्य स्तरीय पी.एम.यू. हेतु संविदा कार्यक्रम अधिकारी/कंसल्टेन्ट (आयुर्वेद/होम्योपैथी), वित्त प्रबंधक चयन नियम कहलायेंगे।
2. राष्ट्रीय आयुष मिशन, के अंतर्गत संविदा कार्यक्रम अधिकारी/कंसल्टेन्ट (आयुर्वेद/होम्योपैथी), वित्त प्रबंधक के पदों पर चयन होने पर अन्य सेवा संविदा अथवा नियमित में कार्यरत उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्व कार्यरत पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य होगा।
3. यह सेवायें नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष के लिये हैं। आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के होने पर सेवा वृद्धि की जा सकेगी।
4. अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में -

- 2.1. परीक्षा - परीक्षा से अभिप्रेत है कि आयुष विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के राज्य स्तरीय पी.एम.यू. हेतु कार्यक्रम अधिकारी/कंसल्टेन्ट (आयुर्वेद/होम्योपैथी), वित्त प्रबंधक के पदों पर संविदा सेवाएं देने हेतु चयन हेतु निर्धारित परीक्षा।
- 2.2. विभाग से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग।
- 2.3. आयुष मिशन से तात्पर्य है- राष्ट्रीय आयुष मिशन।
- 2.4. कार्यक्रम अधिकारी/कंसल्टेन्ट (आयुर्वेद/होम्योपैथी), वित्त प्रबंधक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा कार्यक्रम अधिकारी/कंसल्टेन्ट (आयुर्वेद/होम्योपैथी), संविदा वित्त प्रबंधक।

3. शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं :-

अनिवार्य अर्हताएं:

3.1. संविदा कार्यक्रम अधिकारी / कंसल्टेन्ट- आयुर्वेद / होम्योपैथी

Essential:-

- Minimum bachelor degree (BAMS/ BHMS) from recognized university
- With minimum 03 years working experience in Public Health Programmes of Government / PSUs or reputed private organization.
- Live/updated registration with Madhya Pradesh Ayurvedic and Unani Medical System and Naturopathy Board/ State Homeopathic Council, Bhopal or Central Council is mandatory.

Desirable :-

- Exposure in social sector schemes/Mission of Government at national, state and district level and knowledge of computers including MS Office, MS Word, MS Power Point, MS Excel would be desirable.
- Preference will be given to persons having PG qualification in AYUSH stream and
- Experience of working in Health sector including AYUSH

3.2. संविदा वित्त प्रबंधक –

MPPLR

Essential:-

- MBA- Finance/M.Com/C.A/ICWA from AICTE recognized institute or university.
- Minimum 3 years experience in government or any other reputed organization in finance management of major programme/project.

Desirable :-

- Exposure to financial management operations, Government accounting, funds flow management, utilization certificates and scheme -wise expenditure reporting in a Govt. set up and development of accounting packages will be an added advantage.
- Exposure in social sector schemes/Govt. Missions at national, State and district level and computer knowledge including MS Office, MS Word, MS Power Point, and MS Excel would be desirable.
- Preference will be given to persons who have experience of working in health sector including AYUSH

4. आयु सीमा :- दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष।

स्पष्टीकरण—आयु सीमा की गणना करते समय हाईस्कूल प्रमाण—पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा तथा आयु की गणना दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में मान्य की जावेगी।

5. निरर्हताए :-

MPPLR

5.1. किसी उम्मीदवार की ओर से संविदा सेवाए देने के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए अयोग्य माना जायेगा।

5.2. फर्जी कूटरचित/दस्तावेज, चयन के स्तर पर जानकारी गलत देना/ छुपाई गई हो तो ऐसे उम्मीदवार को अयोग्य माना जावेगा।

5.3. पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो तो चयन से अयोग्य घोषित किया जाएगा।

5.4. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला पुलिस/ न्यायालय में सजा हुई हो वह चयन के लिये अनर्ह होगा।

6. चयन प्रक्रिया :-

6.1. संविदा कार्यक्रम अधिकारी/कंसलटेन्ट (आयुर्वेद/होम्योपैथी), संविदा वित्त प्रबंधक के पदों पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा।

6.2. कुल विज्ञापित पदों का 10 गुने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

6.3. समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता निर्धारण किया जायेगा –

6.3.1. जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।

6.3.2. समान उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का कार्यानुभव ज्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।

6.3.3. समान कार्यानुभव होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का स्नातक में ज्यादा अंक होगा वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थियों से ऊपर होगा।

7. संविदा कार्यक्रम अधिकारी/कंसलटेन्ट (आयुर्वेद/होम्योपैथी), संविदा वित्त प्रबंधक (संविदा सेवाएं) के चयन हेतु अन्य निर्धारित दिशा निर्देश :-

7.1. सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी मूल प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार अपात्र माने जाएगा एवं चयन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

8. मानदेय:- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय।

9. संविदा अवधि:-

9.1. संविदा अवधि एक वर्ष के लिये होगी।

9.2. संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देशानुसार, आवश्यकता एवं उपयुक्तता तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

MPPLR

10. विशेष:-

10.1. संविदा पर नियुक्त संविदा सेवाएं हेतु कर्मचारी को नियमितीकरण की पात्रता नहीं होगी और वह भविष्य में नियमितकरण से संबंधित कोई दावा नहीं कर सकेगा।

10.2. राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। भारत सरकार द्वारा योजना बंद होने की स्थिति में योजनांतर्गत समस्त संविदा सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

10.3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।

11. चयन संविदा सेवाएं हेतु रद्द करना :-

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार संस्था में झूठी / गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर चयन में सफल हो जाता है या चयन के पश्चात् प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये एवं चूकवश चयन हो गया है तो उम्मीदवार का चयन तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। चयन संबंधी किसी भी विवाद में आयुक्त आयुष / मिशन संचालक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

MPPLR

12. चयनित उम्मीदवार को संविदा आधार पर कार्यक्रम अधिकारी (आयुर्वेद / होम्योपैथी) / कंसल्टेन्ट, वित्त प्रबंधक के रूप में संचालनालय आयुष, भोपाल, मध्यप्रदेश में सेवायें देने हेतु आदेशित किया जावेगा। कार्यावधि के दौरान आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत इन्हें मध्यप्रदेश के लिये निर्धारित मानदेय प्रतिमाह देय होगा।
13. संविदा कार्यक्रम अधिकारी / कंसल्टेन्ट (आयुर्वेद / होम्योपैथी), संविदा वित्त प्रबंधक में चयन के पश्चात् पदस्थापना के लिये नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने हेतु आयुक्त आयुष / मिशन संचालक अंतिम प्राधिकारी रहेगा।
14. चयन प्रक्रिया नियमों में संशोधन का अधिकार :-
आयुक्त आयुष / मिशन संचालक, मध्यप्रदेश चयन के किसी भी नियम / प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन मान्य करना बंधनकारी होगा।